



Neutral citation No.- 2026:AHC:2747-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील संख्या - 752/2025

कुसुमा देवी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अशोक कुमार उपाध्याय, विवेक कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपाध्याय और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस आपराधिक अपील में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा दिनांक 12.11.2025 को मामला अपराध संख्या - 177/2019 (राज्य बनाम सौरभ द्विवेदी और अन्य) सत्र विचारण संख्या 563/2023, धारा 364, 506 भा.द.सं., थाना - बेवार, जिला मैनपुरी में पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत निचली अदालत ने प्रतिपक्षी प्रतिवादी संख्या - 2 और 3 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता ने 05.05.2019 को थाना बेवार में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता की बेटी प्रशाली मिश्रा,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फिरोजाबाद के केपी सिंह कॉलेज से बीटीसी की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। उसकी बेटी का सहपाठी सौरभ द्विवेदी उसे फोन पर जान से मारने की धमकी देता था। उनकी बेटी प्रशाली मिश्रा 4 जनवरी 2018 को कॉलेज से घर लौट रही थी और रास्ते में उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह घर आ रही है। घिरोर पहुंचने के बाद उसकी बेटी का फोन बंद हो गया और वह घर नहीं लौटी। तब से उसका कोई पता नहीं चला है। 5 जनवरी 2018 को शिकायतकर्ता ने बेवार थाना में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसे अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उसकी बेटी के लापता होने के लिए सौरभ द्विवेदी जिम्मेदार है, जिसने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने बेवार थाना में अपनी बेटी प्रशाली के लापता होने के संबंध में कई आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार बेवार थाना के पुलिसकर्मियों ने सौरभ द्विवेदी को हिरासत में लिया था, लेकिन पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। आरोपी अक्सर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देता रहता है।

4. सूचनादाता-अपीलकर्ता की उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट (तहरीर) के आधार पर 05.05.2025 को सुबह 10:15 बजे थाना बेवार, जिला मैनपुरी में अभियुक्त प्रतिपक्षी सं. 2 और 3 के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 364 और 506 के तहत मामला अपराध संख्या 177/2019 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई।

5. जांच पूरी होने के बाद, प्रतिपक्षी 2 और 3 के खिलाफ धारा 364 और 506 भा.द.सं. के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद, संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आरोपी प्रतिपक्षी सौरभ द्विवेदी और ऋषि द्विवेदी के खिलाफ धारा 364 और 506 भा.द.सं. के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि, आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

7. अपना मामला साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-1 (सूचनादाता श्रीमती कुसुमा देवी, पीड़ित की माता), पी.डब्ल्यू.-2 (हेड कांस्टेबल रोहिताश कुमार) और पी.डब्ल्यू.-3 (सूक्ष्मदर्शी विपिन तोमर, जांच अधिकारी) को पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों ने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने-अपने मौखिक साक्ष्य दिए और पांच अभियोजन दस्तावेजों को भी साबित किया, जिनमें दिनांक 05.01.2018 की लिखित रिपोर्ट (तहरीर) (प्रदर्श क-1), दिनांक 05.05.2025 की लिखित रिपोर्ट (तेहरीर) (प्रदर्श क-2), चिक एफआईआर (प्रदर्श क-3), जीडी एंट्री (प्रदर्श क-4) और आरोपपत्र (प्रदर्श क-5) शामिल है।

8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए सभी प्रतिकूल/दोषी ठहराने वाले तथ्यों को धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी से प्रश्नोत्तर के रूप में पूछा गया ताकि वे घटना का अपना पक्ष बता सकें। आरोपी ने बार-बार यह कहते हुए उन सभी प्रतिकूल/दोषी ठहराने वाले तथ्यों से इनकार किया कि वे झूठे हैं, या उन्हें झूठा फंसाया गया है, या अभियोजन पक्ष का मामला झूठा है, या अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठी गवाही दी है।

9. दिनांक 12.11.2025 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, निचली अदालत ने आरोपी-विपक्षी पक्षों को धारा 364 और 506 भा.द.सं. के तहत आरोप से बरी कर दिया है। अतः, निचली अदालत द्वारा दिए गए उपरोक्त आक्षेपित फैसले से असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

10. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विपक्षी पक्षों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

11. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, एक दोषमुक्ति का समर्थन करता हो और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत देता हो, तो उच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलट नहीं देना चाहिए। इस संबंध में **चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 (4) एससीसी 415 : एआईआर 2007 एससीसी (सुप) 111** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया है:

(1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय न्यायालय अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है;

(3) 'पर्याप्त और बाध्यकारी कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ' आदि जैसे विभिन्न अभिव्यक्तियों का उद्देश्य दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को सीमित करना नहीं है। इस प्रकार के वाक्यांश अपीलीय न्यायालय की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए 'भाषा की अलंकरण' के रूप में अधिक हैं, न कि न्यायालय की साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँचने की शक्ति को सीमित करने के लिए।

(4) हालाँकि, अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणाएँ होती हैं। पहली, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के तहत उसे उपलब्ध निर्दोषता की धारणा, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। दूसरे, अभियुक्त को बरी कर दिए जाने के बाद, निचली अदालत द्वारा उसकी निर्दोषता की धारणा को और अधिक सुदृढ़, पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निर्णय को नहीं बदलना चाहिए।"

12. बरी होने के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"39. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दर्ज किए गए बरी होने के निर्णय को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा निम्नलिखित सिद्धांतों के दायरे में ही होना चाहिए:-

(क) यह कि बरी होने का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत है;

(ख) यह कि यह अभिलेख में मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने/उन पर विचार न करने पर आधारित है;

(ग) यह कि दो तर्कसंगत दृष्टिकोण संभव नहीं हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केवल वही दृष्टिकोण संभव है जो आरोपी के अपराध के अनुरूप हो।

13. उपर्युक्त निर्णयों में यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा लागू होती है। प्रथम, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के तहत उसे निर्दोषता की धारणा का अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। द्वितीय, अभियुक्त को बरी किए जाने के बाद, निचली अदालत द्वारा उसकी निर्दोषता की धारणा को और अधिक सुदृढ़, पुष्ट और मजबूत किया जाता है। यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध हो गया है और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

14. उपर्युक्त निर्णयों में यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा लागू होती है। प्रथम, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के तहत उसे निर्दोषता की धारणा का अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। द्वितीय, अभियुक्त के बरी होने के बाद, निचली अदालत द्वारा उसकी निर्दोषता की धारणा को और अधिक सुदृढ़, पुष्ट और मजबूत किया जाता है। यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध हो गया है और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

15. सर्वोच्च न्यायालय ने गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2009) 10 एससीसी 636 के मामले में यह टिप्पणी की है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्यों और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है। हालांकि, यह केवल उन मामलों तक सीमित है जहां निचली अदालत का फैसला गलत था। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि कानून में "गलत" शब्द का अर्थ "साक्ष्यों के भार के विरुद्ध" समझा जाता है। यदि दो मत हैं और निचली अदालत ने केवल इसलिए एक मत को अपनाया है क्योंकि दूसरा मत तर्कसंगत है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

16. उपरोक्त सुस्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में विवादित फैसले का अवलोकन करने से पता चलता है कि निचली अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

i. शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी प्रशाली मिश्रा के लापता होने की रिपोर्ट 05.01.2018

को दर्ज कराई। शिकायतकर्ता की बेटी 04.01.2018 से लापता है। गुमशुदगी की

रिपोर्ट, जो जीडी में क्रमांक 14 ए के रूप में दिनांक 05.01.2018 को शाम 7:52

बजे दर्ज की गई थी, उसमें न तो आरोपी-प्रतिपक्षी सौरभ द्विवेदी का नाम और न

ही सौरभ द्विवेदी की कोई भूमिका बताई गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि

उसकी बेटी प्रशाली उर्फ रुचि की सगाई शूल त्रिपाठी से हुई थी, लेकिन लड़के और

उसके परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी बेटी कल शाम लगभग

6:00 बजे अपने मोबाइल से उसे फोन करके बताया कि वह बेवार पहुंचने वाली है।

उसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। यदि वास्तव में आरोपी विपक्षी सौरभ

द्विवेदी ने शिकायतकर्ता की बेटी को उसके लापता होने से पहले जान से मारने

की धमकी दी होती, तो उसने निश्चित रूप से 05.01.2018 की अपनी गुमशुदगी

की रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया होता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. बेटी के लापता होने की घटना के लगभग एक वर्ष और चार महीने बाद, शिकायतकर्ता ने 5 मई 2019 को बेवार थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित रिपोर्ट (तहरीर प्रदर्श क-1) दर्ज कराई।

iii. इसके बाद, लिखित रिपोर्ट (तहरीर प्रदर्श क-1) में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को आखिरी बार आरोपी प्रतिपक्षियों के साथ या किसी और के साथ देखा था।

iv. शिकायतकर्ता ने पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में अपने मुख्य बयान में यह नहीं कहा है कि उसने या किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी बेटी को आरोपी के साथ जाते हुए देखा था।

v. रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता की बेटी प्रशाली मिश्रा और आरोपी विपक्षी पक्षों को घटना के समय या उसके बाद कभी भी एक साथ देखा गया था।

vi. शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य बयान में यह नहीं कहा है कि उसकी बेटी और आरोपी के बीच कोई प्रेम संबंध था, जिसके कारण आरोपी ने उसकी बेटी का अपहरण किया हो।

vii. सूचनादाता ने अपने मुख्य बयान में कहा है कि उसे पूरा विश्वास है कि आरोपी-विपक्षी सौरभ द्विवेदी ने उसकी बेटी को लापता किया है। इसलिए, उसने केवल अपने संदेह के आधार पर ही आरोपी-विपक्षियों के खिलाफ अपनी बेटी के लापता होने का एफआईआर दर्ज कराया है।

vi. सूचनादाता पीडब्ल्यू-1 ने अपने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने घटना के एक वर्ष और चार महीने बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने जिरह में आगे कहा कि इस एक वर्ष और चार महीने की अवधि के दौरान, आरोपी सौरभ द्विवेदी के खिलाफ प्रशाली को अपने साथ ले जाने का कोई सबूत नहीं मिला।

vii. सूचनादाता पीडब्ल्यू-1 ने जिरह में कहा है कि न तो उसने और न ही किसी और ने सौरभ द्विवेदी को उसकी बेटी प्रशाली मिश्रा को ले जाते या अपहरण करते

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देखा है। उसने आगे कहा कि इस मामले में उसके अलावा कोई अन्य पी.डब्लू. नहीं है।

viii. सूचनादाता के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्त प्रतिपक्षियों को अंतिम बार सूचनादाता की पुत्री के साथ देखा गया था या अभियुक्त विपक्षी पक्षों को अंतिम बार सूचनादाता की पुत्री को ले जाते हुए देखा गया था।

ix. सूचनादाता ने अपने मुख्य बयान में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त ऋषि द्विवेदी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए धारा 506 भा.द.सं. के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

x. अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियुक्त प्रतिपक्षियों ने सूचनादाता की पुत्री प्रसाहली मिश्रा का अपहरण किया है या उसे जान से मारने की धमकी दी है।

17. निचली अदालत द्वारा यह निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं है, लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) में लगाए गए आरोपों का अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में उचित मूल्यांकन पर आधारित है। उक्त निष्कर्षों और उपर्युक्त कारणों की जांच करने पर, तथा आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित अभियोजन पक्ष के पी.डब्लू. के बयान के आलोक में, हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिसके आधार पर आरोपण धाराओं से संबंधित किसी भी निष्कर्ष को विकृत या त्रुटिपूर्ण कहा जा सके।

18. निर्विवाद रूप से, यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी मामले के मूल्यांकन से संबंधित कानून सर्वोच्च न्यायालय के **शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116** के फैसले में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। रिपोर्ट के अनुच्छेद 153 से 154 प्रासंगिक हैं और तदनुसार, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी आरोपी के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियाँ "स्थापित होनी चाहिए या अवश्य" स्थापित होनी चाहिए, न कि "हो सकती हैं"। "सिद्ध हो सकती हैं" और "सिद्ध होनी चाहिए या अवश्य सिद्ध होनी चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं: (एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807)

19. ... निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी का दोषी होना अनिवार्य है, न कि केवल हो सकता है, और "हो सकता है" और "अनिवार्य रूप से दोषी है" के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें इस परिकल्पना के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए कि आरोपी दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले के प्रमाण का पंचशील हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. वर्तमान मामले में, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने केवल सूचनादाता-अपीलकर्ता को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में पेश किया है। पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि उसने आरोपी-विपक्षी पक्षों को अपनी बेटी के साथ देखा था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि सूचनादाता की बेटी प्रशाली उर्फ ऋषि को आखिरी बार आरोपी-विपक्षी पक्षों के साथ सूचनादाता या किसी अन्य गवाह द्वारा देखा गया था। पी.डब्ल्यू.-1 ने 5.01.2018 को एक साधारण गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने न तो आरोपी-विपक्षी सौरभ द्विवेदी पर और न ही किसी अन्य पर कोई संदेह जताया है। पी.डब्ल्यू.-1 का पूरा बयान इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि आरोपी-विपक्षी सौरभ द्विवेदी ने उसकी बेटी को गायब कर दिया है। पी.डब्ल्यू.-1 के इस दृढ़ विश्वास को, बिना किसी अन्य साक्ष्य के, केवल प्रबल संदेह कहा जा सकता है। इसके अलावा, मामले में अत्यधिक देरी हुई है। एफआईआर दर्ज करने में लगभग एक वर्ष और चार महीने की देरी हुई। अभियोजन पक्ष ने इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने (i) पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एससीसी 578, (ii) पी. राजगोपाल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2019 एससी 2866 (पैराग्राफ 8), (iii) हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन 1732, (iv) शेखरन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2024) 2 एससीसी 176 और (v) शिवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर उर्फ बंटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 938 में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एफआईआर देरी से दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया है, तो इस तरह की देरी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना उचित नहीं है। एफआईआर को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान मामले में, अभियुक्त-विपक्षी पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने में एक वर्ष और चार माह की अस्पष्ट देरी हुई है। हमारी राय में, एफआईआर दर्ज करने में लगभग एक वर्ष और चार माह की यह अत्यधिक और अस्पष्ट देरी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाती है।

21. रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सूचनादाता की बेटी के लापता होने में आरोपियों की संलिप्तता को दर्शाता हो। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि सूचनादाता की बेटी प्रशाली उर्फ रुचि को घटना से पहले या उसके बाद, एफआईआर दर्ज होने की तारीख तक,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी और ने आखिरी बार देखा था। अभियोजन पक्ष इस कथित अपराध के पीछे का कोई मकसद साबित नहीं कर पाया है। लगभग एक साल चार महीने की अत्यधिक देरी हुई है, जिसका स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी पक्षों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सक्षम नहीं है। अभियोजन पक्ष इस मामले में 'आखिरी बार देखे जाने' की पहली कड़ी भी साबित नहीं कर पाया है, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

22. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विपक्षी पक्षों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनने और विवादित फैसले का अवलोकन करने के बाद, हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न पूछा कि विवादित फैसला गलत या अनुचित कैसे है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एकमात्र गवाह, अर्थात् पीडब्ल्यू-1 ने अपनी बेटी को आरोपी-विपक्षी पक्षों के साथ नहीं देखा है और अंतिम बार देखे जाने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि केवल संदेह के आधार पर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने विवादित फैसला सुनाने में क्या गैरकानूनी काम किया है?

23. उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिसंबर 2025 में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है और पूरी संभावना है कि सूचनादाता-अपीलकर्ता की बेटी का पता लगा लिया जाएगा। हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों को गलत साबित नहीं कर सके, जिनका हमने उल्लेख किया है।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें फैसले में कोई विकृति नहीं दिखती जिससे निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन का परिणाम है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई गलत व्याख्या या चूक नहीं बताई जा सकी। निचली अदालत ने किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य की गलत व्याख्या नहीं की है। हालांकि, हम रिकॉर्ड से ऐसा कोई तथ्य नहीं जुटा सके जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार केवल वही दृष्टिकोण संभव है जो आरोपी के अपराध के अनुरूप हो। अतः, हमें धारा 413

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीएनएसएस के तहत दायर इस अपील पर विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता, जिसके परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

(डॉ. अजय कुमार-II, न्यायमूर्ति) (सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

मोनिका

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।